न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 49/2021 अपील (राजस्व)

1. श्री कन्हैयालाल पिता घनश्याम लाल चौबीसा निवासी–मदार, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
2. श्री चन्द्रशेखर पिता घनश्याम लाल चौबीसा निवासी–मदार, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
3. श्री ओमप्रकाश पिता घनश्याम लाल चौबीसा निवासी–मदार, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर
4. श्री भगवतीलाल पिता घनश्याम लाल चौबीसा निवासी–मदार, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर

–– अपीलान्टगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

–– रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय तहसलीदार बड़गांव/नायब तहसीलदार बड़गांव, तारीख 25.06.2021, मुकदमा नंबर 10/2021 नाजायज कब्जा

उपस्थित : श्री ओंकारलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– .....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसलीदार बड़गांव मुकदमा नंबर 10/2021 तारीख फैसल दिनांक 25.06.2021 अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 से नाराज होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 3338 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्टगण का कब्जा नहीं है। अपीलाण्टगण के खातेदारी की साबिक आराजी नंबर 854मी रकबा 0.4 क्वा/0.1512 हैक्टेयर भूमि थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन हाल पैमाईश में आराजी नंबर 3339, 3340, 3342 कुल किता 3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्टगण के नाम दर्ज की गई तथा बकाया हाल आराजी नंबर 3316, 3317, 3342/5399 एवं आराजी नंबर 3338 में मिला दिया गया है जो अपीलाण्टगण के नाम दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। इस हेतु अपीलाण्टगण ने दिनांक 24.03.2008 को उप जिला कलक्टर गिर्वा में भंवरलाल आदि 71 व्यक्तियों के विरूद्ध घोषण व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जहां प्रकरण 100/2019 विचारधीन होकर तारीख पेशी 02.09.2021 नियत है। विवादित आराजी अपीलाण्टगण के खातेदारी आराजी नंबर 3339, 3340, 3341 व 3342 में मिली हुई है। अपीलाण्टगण की उक्त भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। कानूनी प्रावधान के अनुसार जहां पक्षकारों के मध्य नियमित विवाद चल रहा हो वहां संक्षिप्त कार्यवाही नहीं चल सकती है व नियमित वाद के निर्णय तक संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिए व नियमित वाद के निर्णय अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए मगर अधीनस्थ न्यायालय ने कथित कार्यवाही स्थगित नहीं कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह पत्रावली नायब तहसीलदार बडगांव के यहां से हस्तान्तरीत होना बताते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। जिसमें अपीलाण्टगण को सूचना देने का कोई उल्लेख नहीं है। कथित निर्णय पर हस्ताक्षर नायब तहसीलदार के बताये जाते है व कथित निर्णय को देखा जावे तो यह निर्णय तहसीलदार बड़गांव का है। अर्थात तहसीलदार द्वारा लिखे गये निर्णय पर नायब तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर कर दिये हैं, ऐसा निर्णय नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण को संयुक्त नोटिस देकर कार्यवाही करने मे विधिक भूल की है, जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार अलग–अलग नोटिस देना आवश्यक है। अपीलाण्टगण द्वारा पेशी तारीख 25.03.2021 को दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, जिस पर पेशी तारीख 16.4.2021 को पेशी दी गई लेकिन इस दौरान लॉकडाउन लग जाने से पेशी पर नहीं आ सके। इसके बाद तहसील में दिनांक 05.08.2021 को पता करने गये [illegible]म हुआ कि प्रकरण नायब

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand
Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार के यहां हस्तांतरण कर दिया गया। नायब तहसीलदार के यहां पता किया तो बताया गया कि प्रकरण दिनांक 25.06.2021 को ही निर्णित कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्टगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट की साबिक आराजी नंबर 854मी रकबा 14 विस्बा/0.1512 हैक्टेयर भूमि थी। उक्त भूमि के हाल आराजी नंबर 3339, 3340 व 3342 कुल किता 3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि ही अपीलाण्ट के नाम से दर्ज है। शेष हाल आराजी नंबर 3316, 3317 तथा 3342/5399 को आराजी नंबर 3338 में मिला दिया गया है, जिसे अपीलाण्टगण के नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है। इस हेतु अपीलाण्टगण ने एक वाद 100/2019 न्यायालय उप जिला कलक्टर में दिनांक 24.03.2008 को भंवरलाल आदि 71 व्यक्तियों के विरूद्ध घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया हैं। कानूनी प्रावधानों के अनुसार जहां पक्षकारों के मध्य नियमित वाद चल रहा हो तो वहां संक्षिप्त कार्यवाही नहीं चल सकती लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कथित कार्यवाही स्थगित नहीं कर बेदखली के आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना पेशी की कोई सूचना दी गई। कथित निर्णय पर हस्ताक्षर नायब तहसीलदार के है, लेकिन निर्णय देखा जाये तो यह निर्णय तहसीलदार का है। अतः तहसीलदार द्वारा लिखे गये निर्णय पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर कर दिये है। अधीनस्थ न्यायालय ने कथित [illegible] किसी के दवाब में आकर बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

किसी जांच के व अवसर दिये बिना पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का मदार द्वारा तहसीलदार बड़गांव को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मदार के आराजी नंबर 3319 शामलात खातेदारी दर्ज है। इस भूमि के पूर्व दिशा में आराजी नंबर 3338 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त भूमि पर कन्हैयालाल, चन्द्रशेखर, ओमप्रकाश, भगवतीलाल पिता घनश्याम जी ब्राहम्ण द्वारा पत्थर की बाउन्ड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को विधिवत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 का नोटिस दिया जाकर सुनवाई की जाकर किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त से बेदखली का आदेश दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया बेदखली का आदेश उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने 50 वर्षो से कब्जा होना स्वीकार किया है लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही है जिससे साबित होता है कि उक्त भूमि पर अपीलाण्टगण का कब्जा रहा हो। अपीलाण्टगण द्वारा भूमि के नियमन/खातेदारी हेतु कोई चाराजोही नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि हाल आराजी नंबर 3316, 3317 तथा 3342/5399 आराजी नंबर 3338 में मिला दिए गए है परन्तु पत्रावली पर इस संबंध में कोई साक्ष्य सबूत अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है। अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। किसी व्यक्ति को राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं हैं। अपने कथनो से ही अपीलार्थी द्वारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण को साबित किया जा रहा हैं। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना कानून सम्मत नहीं होने से काबिले बेदखली योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलान्टगण द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया गया है अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव के प्र.सं. 10/21 निर्णय दिनांक 25.06.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested